रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25092025-266422
CG-DL-E-25092025-266422

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4250] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 25, 2025/आश्विन 3, 1947
No. 4250] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 25, 2025/ASVINA 3, 1947

खान मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2025

का.आ. 4369(अ).—भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 17 और धारा 25 की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है तथा एतद्वारा टिन इनगॉट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात: -

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम टिन इनगॉट (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2025 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. टिन इनगॉट (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2025 में, अनुच्छेद 1 में, उप-अनुच्छेद (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-अनुच्छेद प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) यह आदेश 17.04.2026 से प्रवृत्त होगा।"

[फा. सं. 02/8/2025-ईएस]

शकील आलम, आर्थिक सलाहकार

नोट: मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में तारीख 17 अप्रैल , 2025 के का.आ 1769(अ) *द्वारा* प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF MINES

ORDER

New Delhi, the 25th September, 2025

S.O. 4369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with section 17 and sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest and hereby makes the following Order to amend the Tin Ingot (Quality Control) Order, 2025, namely: -

1. **Short title and commencement –** (1) This Order may be called the Tin Ingot (Quality Control) Amendment Order, 2025.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Tin Ingot (Quality Control) Order, 2025, in paragraph 1, for sub-paragraph (2), the following sub-paragraph shall be substituted, namely: -

"(2) This Order shall come into force with effect from 17.04.2026."

[F. No. 02/8/2025-ES]

SHAKIL ALAM, Economic Advisor

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* number S.O. 1769(E), dated the 17th April, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA